

# कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद ऊधम सिंह नगर।

ईमेल- cfoudu.ukfs@gmail.com,

फोन नं०-05944-240071

पत्रांक: न-3/एफ0एस0/ऑनलाईन/2024

दिनांक 18/03/2024

स्वागी/प्रबन्धक

ए0 बी0 सी0 अल्मागेटर,

गुरु गोरखनाथ मार्ग चम्पावत्।


**विषय :- अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी अनापत्ति प्रमाण पत्र के नवीनीकरण के सम्बन्ध में।**


आपके ऑनलाईन आवेदन UID NO-18075604 दिनांक 05/03/2024 के अनुसार मै0 ए0 बी0 सी0 अल्मागेटर, गुरु गोरखनाथ मार्ग चम्पावत् की अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट द्वारा किया गया। प्रभारी अग्निशमन केन्द्र लोहाघाट की ऑनलाईन संस्तुति के अनुसार स्थापित समस्त अग्निशमन यन्त्र कार्यशील दशा में हैं तथा रिफ्लिंग कराकर निर्धारित टैस्टिंग फीस राजकोष में जमा करा दी गयी है।

अग्निसुरक्षा के दृष्टिगत संस्थान में अग्निशमन उपकरणों को सदैव कार्यशील दशा में रखेंगे। भवन के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने पर तदनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था करनी होगी। प्रत्येक वर्ष इस कार्यालय से अग्निशमन यन्त्रों का परीक्षण कराकर अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकृत कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र नवीनीकृत नहीं कराये जाने की दशा में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जाएगा।

अतः उपरोक्तानुसार मै0 ए0 बी0 सी0 अल्मागेटर, गुरु गोरखनाथ मार्ग चम्पावत् को अग्निशमन सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक 18/03/2024 से 17/03/2025 तक इस आधार पर प्रदान किया जाता है कि निम्न शर्तों का पालन किया जाय :-

- 1 सभी बाहर निकलने या बचाव के रास्ते, सैटबैक तथा सीढ़ियां प्रत्येक दशा में अवरोध मुक्त रखी जाय।
- 2 आपके संस्थान के सभी कर्मचारियों को उपलब्ध अग्निशमन यन्त्रों का तथा सुरक्षित निष्क्रमण प्रक्रिया (Evacuation) का ज्ञान होना आवश्यक है।
- 3 सभी अग्निशमन यन्त्रों को कार्यशील दशा में रखने की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होगी। अतिरिक्त अग्निशमन यन्त्रों की स्थापना का अर्थ यह नहीं लगाया जाय कि अग्निफाण्ड की घटना नहीं हो सकती। अतः प्रबन्धन को अग्निरोधक उपाय सदैव करते रहना चाहिए।
- 4 भवन/संस्थान में विद्युत यन्त्रों की स्थापना, वैंटीलेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, सैट बैक एरिया व निर्माण, Land Use Change में बदलाव आदि का सत्यापन संबंधित अधिकारी से कराया जाय।
- 5 संस्थान के विस्तार/अतिरिक्त निर्माण करने से पूर्व इस कार्यालय से मानचित्र अनुमोदित करवाकर मानक के अनुसार अतिरिक्त अग्निशमन व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।
- 6 संस्थान में कम्प्यूटर लैब एवं अन्य लैब संचालित होने पर पृथक से कम्प्यूटर लैब में 01 अदद सीओ2 फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 4.5 किग्रा अन्य लैब में 02 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 5 किग्रा 04 अदद सैण्ड बकेट एवं जनरेटर के पास 01 अदद एबीसी फायर एक्सटिंग्यूशर क्षमता 05 किग्रा 04 अदद सैण्ड बकेट निर्धारित प्लेटफार्म के प्राविधान किया जाना अनिवार्य होगा।

  
Principal  
ABC Alma Mater School  
Champawat Uttarakhand

  
शशा बहादुर यादव  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
ऊधम सिंह नगर